अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड .... कठूमर जिला अलवर

...ल नं. 2/145/2021 तारीख रजू........................

वीरेन्द्र **बनाम** दिगम्बर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.07.2021	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के पक्ष में बखूबी सावित है। अतःअप्रार्थीगण जर्ये अन्तरिम अंस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी ख0 नम्बर 204/684, 206/685, 209, 212, 216, 217/686, 220, 227, 229, 230/687, 287/688, 250, 259, 334, 335, 336, 337, 338, 352, 393, 397, वाके ग्राम दुधेरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में सायल को एवं तर0 प्रतिवादी नम्वर 3 को 1/3 हिस्सा मे काश्तकारी कार्य करने मे किसी प्रकार की रूकावट वो मजाहमत पैदा नही करें। जवरन वेदखल नही करें तथा किसी अन्य को रहन वय मुन्तिकिल नही करें तथा गैरसायल सं0 2 उक्त आराजी वावत कोई दस्तावेज तस्दीक न करे। अप्रार्थीगण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 05.10.2021 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 05.10.2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) 5/10/21	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.4.22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की ओर से श्री सत्यप्रकाश शर्मा ASO ने वकालतनामा पेश किया। वकील प्रार्थी आगे प्रा० पत्र को और चलाना नहीं चाहते हैं उन्होंने अपने प्रा० पत्र को Not Press कर दिया। अतः प्रा० पत्र 212 RTA वकील प्रार्थी के Not Press के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसल हुक्म होकर नम्बर से कम हो कर मूल वाद के साथ शामिल रहे/ सुनाया। Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	